

भूमि विकास बैंक के ऋणधारकों को राहत

झुंझुं । राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों और ऋणधारकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 को लागू कर दिया है। यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप बनाई गई है। बैंक सचिव संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन सभी ऋण खातों पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2024 को अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत थे। हालांकि, वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋण इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। यह योजना 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

बुनकरों को नगद पुरस्कार देने के लिए आवेदन आमंत्रित

अजमेर। राज्य के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में भी बुनकरों को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि इसके अनुसार जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जिले की सीमा में कार्यरत हथकरघा बुनकरों एवं समितियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। इसके लिए पिछले 3 वर्षों से हथकरघा पर बनाई कार्य कर रहे बुनकर एवं सहकारी समितियां पात्र हैं। उन्हें गत 3 वर्षों में इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया हो। पात्र हथकरघा बुनकर एवं समितियां अपना आवेदन 16 जून तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र आरपीएससी के पास जयपुर रोड अजमेर में जमा करा सकते हैं। आवेदन फार्म जिला उद्योग केन्द्र अजमेर कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

आरबीआई ने कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के लिए मानदंडों में ढील दी

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य मार्ग से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए मानदंडों में ढील दी है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि एफपीआई को अब अल्पकालिक निवेश और सांद्रता सीमाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सांद्रता सीमा का मतलब है कि एक एफपीआई किसी एक कंपनी या समूह में कितना निवेश कर सकता है। एफपीआई के लिए निवेश और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ ऑनलाइन के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि एवं अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं । सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि एवं अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

संपादक

आठ जिलों में गठित होंगे नवीन सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में श्रीअन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने एवं प्रचलन में लाने के लिए प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोलने की बजट घोषणा की पालना में 8 जिलों में नवीन सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार गठित करने के निर्देश सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को पत्र भेजकर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलौदी एवं सलुम्बर जिले में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार का गठन होगा, जिसके लिए न्यूनतम हिस्सा राशि 2 लाख रुपए निर्धारित की गई हैं, साथ



ही, जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार केन्द्रीय स्तर की सहकारी संस्था होने के चलते कम से कम 5 सदस्य स्वयं सहकारी सोसायटी होना आवश्यक है। इसके अलावा नवीन जिलों में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार गठन करने से

पूर्व अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा मूल जिले में कार्यरत सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के व्यक्तिगत सदस्य, सदस्य सहकारी संस्थाओं की संख्या एवं इनकी जमा हिस्सा राशि के साथ मूल जिले से अलग हुए नये जिले में

सीड एक्ट के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का गठन

सहकारी नेटवर्क के सहारे किसानों को मिलेंगे उन्नत किस्म के बीज

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, कम जमीन में ज्यादा पैदावार के लिए उन्नत बीज का होना जरूरी है। यह तभी संभव हो सकता है जब परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे किसानों को आसानी से परिष्कृत एवं सस्ते बीज उपलब्ध कराए जाएं। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है। भारत ब्रैंड की सफलता के बाद सहकारिता के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य है। सीड एक्ट के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) का गठन किया गया है, जो देशभर में फैले सहकारी नेटवर्क के जरिये भारत बीज नाम से उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन, खरीद एवं किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर सके। इससे किसानों को नकली एवं खराब बीजों से छुटकारा मिल सकेगा। देश



में अभी तक ऐसी कोई राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जो बीज उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और अनुसंधान तक समग्रता में काम कर सके। यह संस्था पूरी तरह से सदस्य किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इसके जरिये बीज उत्पादन कर सके। इससे किसानों को नकली एवं खराब बीजों से छुटकारा मिल सकेगा। देश

जाएगा। देश में अभी 47 प्रतिशत क्षेत्रों में ही गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल हो रहा है। बीबीएसएसएल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के तहत वंचित क्षेत्र में भी पैदावार बढ़ाना है। अभी कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर तीन सहकारी समितियां हैं, जिनका काम उन्नत बीजों के उत्पादन एवं इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बीबीएसएसएल को जिम्मेदारी उपज में सुधार के लिए स्वदेशी बीजों के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना है। संस्था को चालू वित्त वर्ष में 270 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 2032 तक 20 लाख टन बीजों की बिक्री के साथ 18 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करना है। उन्नत बीजों की खेती के लिए पैक्सों के जरिये किसानों का चयन होगा। उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें इसके माध्यम से समय पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज मिलेगा, जिससे उपज और

आय में वृद्धि होगी। बीज उत्पादक के रूप में उनकी पहचान बनेगी। किसानों के बीच लाभांश वितरण की भी पारदर्शी व्यवस्था है। संस्था की सदस्य समितियों को भी उनकी अंश पूंजी पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक लाभांश दिया जाएगा। अभी तक संस्था में 24 राज्यों की 21 हजार से अधिक सहकारी समितियां सदस्य बन चुकी हैं। संस्था ने काम शुरू भी कर दिया है। मूंगफली, गेहूं, जई और बरसीम के बीज का उत्पादन और बिक्री होने लगी है। खरीफ मौसम में धान, चना, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, मक्का एवं बीस की विभिन्न किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की तैयारी है। उत्पादन के बाद बीजों की बिक्री एमएसपी या बाजार मूल्य में जो भी ज्यादा हो, उस पर होगी। इसके अतिरिक्त बीज निगम और मंडियों में बीजों के दाम का भी आकलन किया जाएगा। जो भी ज्यादा होगा, उसी दाम पर बिक्री होगी।

सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव का तीन दिवसीय जालोर-सिरोही दौरा प्रस्तावित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं सहकारिता विभाग पंजीयक श्रीमती मंजू राजपाल का 15 मई से लेकर 17 मई तक जालौर एवं सिरोही जिले का दौरा प्रस्तावित हैं, इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, 15, 16 एवं 17 मई को सिरोही एवं जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय में बैठक के साथ विभिन्न शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण भी प्रस्तावित हैं, वहीं सिरोही सीसीबी प्रबंध निदेशक ने सहकारिता विभाग पंजीयक की प्रस्तावित

बैठक के संबंध में पत्र जारी कर शाखा एवं समिति कार्यालय की पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से अद्यतन व प्रस्तुत करने योग्य स्थिति में रखने एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत संभावित कार्यक्रमों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. की एक मुख्य समझौता योजना के बारे में समीक्षा बैठक आहूत करने की जानकारी मिल रही हैं।

राजफैड बढ़ाए जिलेवार एवं त्रय केन्द्रवार पंजीयन लक्ष्य की कैपिंग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए एफसी एवं चना खरीद हेतु आवंटित कृषक पंजीयन लक्ष्य को ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाए, जहां किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिनस विक्रय में अधिक रूचि ली जा रही है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार भाव अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिनस विक्रय के लिए पंजीयन करवाया गया है। जबकि, कई क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण पंजीयन की संख्या कम है। अतः

पंजीयन लक्ष्यों को स्थानान्तरित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजफैड के स्तर से जिलेवार एवं त्रय केन्द्रवार पंजीयन लक्ष्य की कैपिंग को बढ़ाया जाए, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद जुनैद ने बताया कि कई केन्द्रों की पंजीयन क्षमता पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में इन केन्द्रों पर वर्तमान में आवंटित पंजीकरण क्षमता को दोगुना किया जाएगा। वहीं, जहां पंजीकरण प्रारम्भ होने के बाद नये केन्द्र स्वीकृत किए गए और जिनकी पंजीकरण क्षमता शून्य है, को 12 मई, 2025 से सरसों एवं चना हेतु 100-100 पंजीकरण के लक्ष्य आवंटित किये जाएंगे। इससे निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी तथा किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।



संभाग और जिला स्तर पर भी होने चाहिए मसाला मेले जैसे आयोजन - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। इस तरह के मेलों का आयोजन संभाग और जिला स्तर पर भी होना चाहिए। ऐसे आयोजनों से सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार उत्पादों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि हम सब सहकारिता के ध्येय वाक्य 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' को आत्मसात कर सहकारी सेक्टर को मजबूत करें ताकि देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिले। सहकारिता मंत्री ने जवाहर कला केन्द्र के दक्षिण परिसर में प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का दीप प्रज्वलन कर तथा फीता काटकर शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के



आयोजन जरूरी हैं। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव ने मेले में लगी स्टॉल्स का अवलोकन कर देश-प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा विक्रय के लिए लाए गए मसालों एवं अन्य उत्पादों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफैड) द्वारा वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष मसाला मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण मसालों के साथ ही अन्य

उत्पाद उचित दाम पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध होते हैं, जिससे यह जयपुरवासियों की खास पसंद बन चुका है। मसाला मेले के आयोजन से आमजन का सहकारी उत्पादों पर विश्वास भी बढ़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की थीम पर 18 मई तक यह मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में राजस्थान के साथ ही केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिक्री

पोर्टल और पोस्टर का किया विमोचन

सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा तैयार करवाए गए पोर्टल का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन किया। यह पोर्टल मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने विभिन्न प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अध्यक्षों की उपस्थिति में योजना के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही, पांच ऋणी किसानों को ऋण राहत प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री दत्त ने इस अवसर पर दो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माइक्रो एटीएम वितरित किए तथा 'म्हारो खातों, म्हारो बैंक' अभियान के तहत बचत खाते खोलने हेतु पोस्टर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भावना है कि किसान आगे बढ़ें, इसीलिए भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना लाई गई है। श्री दत्त ने कहा कि 'म्हारो खातों, म्हारो बैंक' अभियान का नाम हर व्यक्ति की जुबां पर आना चाहिए।

के लिए उपलब्ध हैं। साबुत और पीसे हुए मसालों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराये गए हैं। मेले में आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लकी डूँ एवं समापन के लिए विशिष्ट उत्पाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराये गए हैं। मेले में आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लकी डूँ एवं समापन के लिए विशिष्ट उत्पाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) एवं कॉनफैड की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिल्पी पांडे सहित विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सहकारजन उपस्थित रहे।

उत्पादकता बढ़ाने की कवायद

भारत ने हाल ही में चावल की दो जीनोम-संवर्धित किस्में जारी की हैं और यह कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साइट डायरेक्ट डेविलएज 1 (एसडीएन1) जीनोम परिवर्तन तकनीक की मदद से विकसित डीआरआर धान 100 (कमला) और पूसा डीएसटी राइस 1 नामक ये किस्में न केवल 30 फीसदी तक अधिक पैदावार का वादा करती हैं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण को हानि तथा क्षेत्रीय कृषि असंतुलन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी मददगार साबित हो सकती है। चावल की ये दोनों किस्में अपनी मूल किस्मों यानी क्रमशः सांबा मंसूरी (बीपीटी 5204) और कॉटनडोरा सत्रालू (एमटीयू-1010) की तुलना में बेहतर परिणामों का वादा करती हैं। एक बात जो इन दोनों नई किस्मों को अधिक आकर्षक बनाती है वह है तैयार होने की 15 से 20 दिन की कम अवधि। इसके चलते फसलों को जल्दी बदला जा सकता है और जमीन का अधिक किफायती इस्तेमाल संभव हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी की कम जरूरत और उच्च नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता भारतीय कृषि की एक बड़ी चुनौती को हल कर सकता है, जो है भूजल का अत्यधिक दोहन। खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। ये दोनों राज्य चावल के बड़े उत्पादक हैं और भूजल की सबसे अधिक क्षति वाले राज्यों में भी यही शामिल हैं क्योंकि यहां दशकों से धान की खेती हो रही है जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये जीनोम-संवर्धित चावल की किस्में सूखे से काफी हद तक सुरक्षित हैं और मिट्टी की खराब स्थिति में भी बची रह सकती हैं। ऐसे में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये वे इलाके हैं जो ऐतिहासिक रूप से धान की कम उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा इन राज्यों में मिट्टी और जलवायु के चुनौतीपूर्ण हालात के कारण है। इन इलाकों में धान की खेती को प्रोत्साहन देने से चावल के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार होगा। इससे पारिस्थितिकी पर दबाव कम होगा क्योंकि कुछ इलाकों में धान की अत्यधिक खेती की जाती है। इससे कृषि अर्थव्यवस्था में समता आएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीनोम-संवर्धित करने की तकनीक मसलन एसडीएन1 आदि पारंपरिक जीन संवर्धित प्रणाली से अलग है क्योंकि इसमें बाहरी डीएनए नहीं शामिल किया जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि नियामकीय और नैतिक स्तर पर बहुत बाधाएं नहीं होतीं, जनता में इनकी स्वीकार्यता अधिक होती है और इनको अधिक तेजी से अपनाया जा सकता है। विज्ञान के साथ-साथ नीतिगत व्यवस्था को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। सरकारी खरीद करने वाली एजेंसियों को इन किस्मों को चिह्नित करना चाहिए और उन्हें सरकारी खरीद तथा वितरण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। किसानों को प्रशिक्षित करने तथा खेत के स्तर पर इनके इस्तेमाल के स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करके जैव सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सकता है। देश की जरूरतों को देखते हुए हमें जीन संवर्धित फसलों पर अपने रुख की समीक्षा करनी चाहिए। साल 2022 में सरकार ने जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड, डीएमएच-11 को मंजूरी दी थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था जहां जीन संवर्धित फसलों को लेकर सकारात्मकता दिखाई गई थी। समुचित नियमन और वैज्ञानिक पारदर्शिता के साथ जीएम फसलें उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। इनसे जैविक दबाव को लेकर प्रतिरोध कम हो सकता है और इनपुट की लागत कम हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें। सरकार को इस बारे में समूची संभावनाओं को भी खंगालना चाहिए। इतना ही नहीं जैव प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का लाभ लेने के लिए भारत को कृषि शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए संस्थागत सहायता बढ़ानी चाहिए और जलवायु के प्रति टिकाऊरूप को खाद्य सुरक्षा नीतियों में शामिल करना चाहिए। कृषि शोध और विकास व्यय के लिए वर्तमान बजटीय आवंटन केवल 10,466 करोड़ रुपये है और अगले दो-तीन सालों में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी अब दीर्घकालिक रूप से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य हो कृषि शिक्षा

“ इस देश में राजनीतिक अकर्मण्यता और आधुनिक विकास के तकनीकी, प्रौद्योगिकीय कोण पर ही केन्द्रित रहने की शासकीय महत्वाकांक्षाओं ने उद्योगों को चहुँदिश प्रश्रय दिया और इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया गया। खेती-किसानी की ऐसी उपेक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर भी पड़ा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कृषि से संबंधित विषयवस्तु अदृश्य है। छोटी असे अमरूद और बड़ी आ से आम के साथ आरंभ होनेवाली प्राथमिक शिक्षा में कृषि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। यदि बच्चों के मन-मस्तिष्क में छोटी आयु और शिक्षण-कक्षाओं से ही कृषि ज्ञान-विज्ञान नहीं डाला जाएगा तो आगे बड़ी कक्षाओं में जाने पर वे विषय संबंधी रुचियों में से कृषि-विषय में आत्मरुचि के पाठ्यक्रमों में कृषि संबंधित विषयवस्तु अदृश्य है। ”

“

जीवन और जीवन के वास्तविक रूप शरीर व मन के स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक व अनुकूल पर्यावरण है। ऐसी अनुकूलता में भी सबसे महत्वपूर्ण है प्राकृतिक जल और भोजन। यह मानव को तब ही सहजता से उपलब्ध हो सकता है जब देश-विदेश में कृषि की समुचित व्यवस्था हो। मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक व पारंपरिक कृषि व्यवस्था अत्यंत अनिवार्य है। इस देश में राजनीतिक अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और आधुनिक विकास के तकनीकी, प्रौद्योगिकीय कोण पर ही केंद्रित रहने की शासकीय महत्वाकांक्षाओं ने उद्योगों को चहुँदिश प्रश्रय दिया और इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया गया। खेती-किसानी की ऐसी उपेक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर भी पड़ा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कृषि से संबंधित विषयवस्तु अदृश्य है। छोटी असे अमरूद और बड़ी आ से आम के साथ आरंभ होनेवाली प्राथमिक शिक्षा में कृषि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। यदि बच्चों के मन-मस्तिष्क में छोटी आयु और शिक्षण-कक्षाओं से ही कृषि ज्ञान-विज्ञान नहीं डाला जाएगा तो आगे बड़ी कक्षाओं में जाने पर वे विषय संबंधी रुचियों में से कृषि-विषय में आत्मरुचि के पाठ्यक्रमों में कृषि संबंधित विषयवस्तु अदृश्य है।

”

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के अध्ययन के मुताबिक भारत में विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ पानी का संकट लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे पानी को लेकर अनेक राज्यों में मारा-मारी के हालात बने रह सकते हैं। जाहिर तौर पर पानी की खपत पिछले 40-50 वर्षों में तेजी के साथ बढ़ी है। एक दशक से पानी की मांग प्रति व्यक्ति 100 से 120 लीटर के बीच रही है जो 2025 तक बढ़कर 125 लीटर हो गई है। अब पानी की मांग 7900 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1997 में जल की उपलब्धता 575 क्यूबिक किमी थी, लेकिन अब यह लगभग 500 क्यूबिक किमी है जबकि मांग 800 क्यूबिक किमी के लगभग है। यानी उपलब्धता के एवज में मांग बहुत ज्यादा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक भूजल जलस्तर और घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के इस आकलन पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगले 20 सालों में भूजल के 60 फीसदी स्रोत खतरनाक हालात में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जल की हमारी 70 फीसदी मांग भूजल के स्रोतों से पूरी होती है। जाहिर है, तब न तो फसल उगाने के लिए पानी होगा और न तो उद्योग-धन्यों के लिए ही। खेती-किसानी तो बर्बाद होगी ही, देशा की बहुत बड़ी आबादी जल की एक-एक बूंद के लिए तरस सकती



बसने वाले देशों की बड़ी आबादी पानी की किल्लत से जूझ रही होगी। इन देशों में सब-सहारा, कांगो, मोजांगिक, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्याम्मार, चीन, कोरिया, घाना, केन्या, नामीबिया, अफगानिस्तान, अरब अमीरात, ईरान, ईराक, सीरिया सहित तमाम मुल्क शामिल होंगे। 2050 में साढ़े पांच अरब लोग पानी के संकट से जूझ रहे होंगे। जिस तरह से विकासशील देशों में गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, उससे



ऐसा होने पर ही उनका मनोविज्ञान खेती के संपूर्ण साहित्य से सिंचित हो पाएगा। बच्चे यदि शुद्ध आहार-विहार अपनाने के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्हें बालपन से ही विद्यालयों में इस संबंध में शिक्षित नहीं किया गया। इसीलिए उन्हें कृषि वर्ग की प्रमुख फसलों, खाद्यान्नों, फल-फूल, वन-वनस्पतियों, औषधियों के गुण-दोषों की जानकारी भी नहीं है और संभवत यही कारण भी है कि वे खानपान की बुरी आदतों से ग्रस्त हैं। घर में या विद्यालयों में उन्हें इस संदर्भ में औपचारिक ढंग से ही बताया जाता है। अभिभावक, शिक्षक और नीति-नियंता ही जब कृषि क्षेत्र की उपेक्षा किए बैठे हों तो बच्चे इस बारे में अपेक्षानुरूप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अत्यंत विचारणीय है। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लेकर राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों को इस दिशा में गंभीर होकर चिंतन-मनन करना ही होगा। इस काल के मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य ही है कि उद्योगों, निर्माणियों, कारखानों, कार्यालयों और प्रगति संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए आए दिन वनक्षेत्र काटे जा रहे हैं। इसके लिए रोजाना ही कृषि क्षेत्र में कमी हो रही है। प्रकृति

का असंतुलन कई दशकों से सार्वजनिक चिंता के केंद्र में है ही। प्राकृतिक असंतुलन के कारण जनजीवन प्रतिक्षण असुरक्षित होता जा रहा है। ऋतु की विकृतियां भयंकर रूप में सामने आ रही हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सभी तत्व हर दिन मलिन हो रहे हैं। परिणामस्वरूप धरती का फसल चक्र बिगड़ चुका है। फसलों की प्राकृतिक शक्ति लगभग समाप्त हो हो चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन पूरी तरह कृत्रिम, रासायनमिश्रित और विषैले उर्वरकों व खाद पर निर्भर हो चुका है। पारंपरिक और नैसर्गिक खाद्यान्न-बीज विलुप्त होने की कगार पर हैं। ग्राम, ग्राम्य-जीवन, ग्रामीण व्यवस्थाओं का समापन अंतिम स्तर पर है। इस कालखंड में पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान केवल और केवल अभिशाप बनकर मनुष्य के स्मिर पर मंडरा रहा है। चारों ओर आधुनिक जीवन द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं, रोगों और महामारियों की असुरक्षा फैली हुई है। जीवन का स्वाभाविक आनंद क्या होता है, इससे मनुष्य अनभिज्ञ है। हरेक खाद्य और पेय पदार्थ शरीर का पोषण करने के बजाय उसे असाध्य रोगों से खत्म कर रहा है। देश में जितने भी कृषि विद्यालय,

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान हैं हालांकि उनमें कृषिगत विषयों का पठन-पाठन तो हो रहा है और यथासंभव प्रयोगिक प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, पर वे कहीं न कहीं प्राकृतिक तत्वज्ञान से रहित हैं। ऐसे पठन-पाठन में कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कृत्रिम कृषिकर्म की ही जानकारी दी जा रही है। फसलों के रक्षण-संरक्षण और उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का सहारा लिया ही लिया जा रहा है। कृषि संस्थानों, प्रतिष्ठानों और उद्यमों में बीजों पर प्रयोग का जैसा अभ्यास कुछ दशकों से किया जा रहा है, उससे कृषि उत्पादों में कोई न कोई हानिकारक तत्व स्थायी रूप में पहुंच रहा है। चूंकि यह प्रक्रिया वर्षों पुरानी हो चुकी है और कृषि से जुड़े हरेक व्यक्ति को इसमें अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता, इसलिए इसमें उत्पाद को पूर्णत हासिरहित करने के नवीन प्रयास नहीं किए जा की रहे हैं। आखिर में इसके अप्रत्याशित दुष्परिणाम मनुष्य काया ही झेल रही है। इसके अलावा जो व्यापारी गांवों, महानगरों के असंगठित क्षेत्रों में मिलावटी और जहरीला अनाज बेच रहे हैं और जितने बड़े व व्यापक स्तर पर, जितनी ज्यादा आबादी को बेच रहे हैं, मिलावटी अनाज और अनाज में प्रयोग होनेवाले प्राणघाती अवैध रासायनों का कारोबार भी उसी मात्रा में बढ़ रहा हैइस स्थिति में कर्ताधर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और देश-दुनिया के विद्वानों की मानसिक-वैचारि क अपरिपक्वता का ही संकेत मिल रहा है कि वे वास्तव में अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कर या रहे हैं और जो उन्हें करना चाहिए वैसा वे नहीं कर रहे हैं।

- **विकेश कुमार बडोला**
यह लेखक के अपने विचार हैं

जल संकट मिटाने के लिए बदलाव जरूरी

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के अध्ययन के मुताबिक भारत में विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ पानी का संकट लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे पानी को लेकर अनेक राज्यों में मारा-मारी के हालात बने रह सकते हैं। जाहिर तौर पर पानी की खपत पिछले 40-50 वर्षों में तेजी के साथ बढ़ी है। एक दशक से पानी की मांग प्रति व्यक्ति 100 से 120 लीटर के बीच रही है जो 2025 तक बढ़कर 125 लीटर हो गई है। अब पानी की मांग 7900 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1997 में जल की उपलब्धता 575 क्यूबिक किमी थी, लेकिन अब यह लगभग 500 क्यूबिक किमी है जबकि मांग 800 क्यूबिक किमी के लगभग है। यानी उपलब्धता के एवज में मांग बहुत ज्यादा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक भूजल जलस्तर और घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के इस आकलन पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगले 20 सालों में भूजल के 60 फीसदी स्रोत खतरनाक हालात में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जल की हमारी 70 फीसदी मांग भूजल के स्रोतों से पूरी होती है। जाहिर है, तब न तो फसल उगाने के लिए पानी होगा और न तो उद्योग-धन्यों के लिए ही। खेती-किसानी तो बर्बाद होगी ही, देशा की बहुत बड़ी आबादी जल की एक-एक बूंद के लिए तरस सकती

है। ऐसे में पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी है। दुनिया में आज सबसे बड़ा संकट आतंकवाद और पर्यावरण प्रदूषण है, लेकिन 2050 में पानी संकट सबसे बड़ा संकट होगा। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि 2025 तक दुनिया की आबादी 8 अरब और 2050 तक 9 अरब को पार कर जाएगी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि में

यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 के अंत तक दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही होगी, जिससे जल संकट और भी गहरा हो सकता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के नए शोध के मुताबिक भारत के 700 जिलों में से 256 जिले पानी की अतिगंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। अतिदोहन की वजह से भूजल संसाधनों

इस्तेमाल का पानी उन इलाकों में भी साफनहीं मिल पा रहा है, जहां तीस-चालिस साल पहले जल सदानीरा की तरह बहता और मिलता था। इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम के अनुमान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगले 10 सालों में वाष्पीकरण की रफ्तार आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। इसकी

राष्ट्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1997 में जल की उपलब्धता 575 क्यूबिक किमी थी, लेकिन अब यह लगभग 500 क्यूबिक किमी है जबकि मांग 800 क्यूबिक किमी के लगभग है। यानी उपलब्धता के एवज में मांग बहुत ज्यादा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक भूजल घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर हो जाएगा।

वजह से नदियों और अन्य जल स्रोतों का पानी कम हो जाएगा। गर्मी बढ़ने से धुवों की बर्फतेजी के साथ पिघलेगी। इससे मीठा पानी खारे समुद्र में मिल जाएगा, जिससे मीठे पानी के जलस्रोत सूखते चले जाएंगे। पानी की उपलब्धता इतनी कम हो जाएगी कि दो-चार गिलास पानी से नहाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी समस्या जो सबसे विकराल रूप में सामने आ सकती है वह है, जल के लिए पलायन की। ऐसे स्थानों पर आबादी का विकट

दबाव हो सकता है। इससे आर्थिक, सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी। निवासियों और विस्थापितों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बनेगी जो कई नई समस्याओं को जन्म देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2030 तक 70 करोड़ लोगों को अपने क्षेत्रों से विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। केंद्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक देशभर में कुल वार्षिक बारिश 1,170 मिमी होती है, और वह भी महज तीन महीने में। यदि बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल करें तो पानी की किल्लत से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि पानी को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मतलब जल संरक्षण और जल के बेहतर इस्तेमाल से पानी के संकट से देश को उबारा जा सकता है। जिन इलाकों में बरसात बहुत कम होती है, वहां तो पाताल का पानी ही एक मात्र स्रोत होता है, वहां कैसे पानी की किल्लत से उबरा जाए, इस पर गौर करने की जरूरत है। ऐसे में बरसात के पानी को संरक्षित करके ही इस संकट से उबरा तो जा सकता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जरिए किए जा रहे पानी के मनमाना दोहन को रोकना भी बहुत जरूरी है। पानी की बढ़ती किल्लत पर आम आदमी और सरकारों का लापरवाही वाला रवैया चिंता जनक है। भविष्य में इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

- **अखिलेश आर्यन्द**
यह लेखक के अपने विचार हैं

खरीफ फसलों की बुवाई के लिए तैयार सीमावर्ती जिलों के किसान

30 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ फसलों की बुवाई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। देश के दो प्रमुख कृषि राज्य - पुंजाब और राजस्थान - के 10 सीमावर्ती जिलों के किसान लगभग 30 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में धान, मूंग और बाजरा जैसी खरीफ फसलों का उत्पादन करते हैं। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण किसान आगामी खरीफ सीजन को लेकर चिंतित नहीं है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार, इन किसानों के लिए फसलों से अधिक अहमियत भारतीय सीमाओं की सुरक्षा रखती है। वहीं, युद्ध विराम की घोषणा के साथ किसानों को मानसून आने के बाद सामान्य गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के किसान और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मि नायक मल सिंह का खेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वे कहते हैं कि हम निराश हैं क्योंकि अगर युद्ध जारी रहता तो हम एक सीजन के लिए फसल की बलि देने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान को एक स्थायी सबक मिल जाना चाहिए था। इसी तरह पंजाब के तरनतारन जिले के हरनाम



करते हैं क्योंकि पुलिस और सेना क्षेत्र में गश्त करती रहती है और सलाह देती है कि खेती करना ठीक है या नहीं। पंजाब के फाजिल्का जिले के किसान छिंदर पाल सीमा से सटी 60 एकड़ जमीन में खेती करते है। वे कहते हैं कि वे खेती से अपनी आजीविका कमाते हैं, इसलिए उन्हें किसी युद्ध का डर नहीं है। सरकार हमें खेत को बिना बोए छोड़ने के लिए नहीं कहती, तब तक कोई कारण नहीं है। हम यहीं पले-

बढ़े हैं और हमें कोई डर नहीं है। पाल ने कहा कि कुछ घटनाओं को छोड़कर, जिस क्षेत्र में उनकी जमीन स्थित है, वहां मौजूदा गतिरोध में कोई गोलाबारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे अभी खेत की सिंचाई कर

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों में 20.83 लाख हेटेयर क्षेत्र से 8.84 लाख खाद्यान्न टन उत्पादन देश को दिया था। राजस्थान के इन सीमावर्ती 10 जिलों में दलहन (मूंग और मोठ) और बाजरा की फसल 20 लाख हेटेयर में उगाई जाती हैं

रहे हैं और अगले 15 दिनों में डीएसआर तकनीक के माध्यम से पूसा 1121 और दूसरी धान की बासमती किस्मों की रोपाई करेंगे। पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुर्दासपुर और पठानकोट जिलों के किसानों ने 2023-24 में 8.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 34.03 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन किया था। वहीं, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों

में 20.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 8.84 लाख खाद्यान्न टन उत्पादन देश को दिया था। राजस्थान के इन सीमावर्ती 10 जिलों में दलहन (मूंग और मोठ) और बाजरा की फसल 20 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 मई को गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में खेती की स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने खाद और बीज जैसी कृषि सामग्री की उपलब्धता का जायजा लिया था। उन्होंने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को इन जिलों के किसानों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए थे। कृषि मंत्रालय को अन्य स्थानों पर धान की रोपाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें सीमावर्ती जिलों में पहुंचाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सीमा से 10-15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों की पहचान करें और वहां खेती योग्य जमीन का आकलन करें, इन गांवों में बोई गई खरीफ फसलों के आंकड़े एकत्र कर योजना बनाएं, ताकि किसानों को जरूरी मदद मिल सके।

3



राजस्थान विधानसभा सचेतक जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति में योजना के तहत बैंक द्वारा नो-ड्यूज के साथ-साथ भूमि रहन मुक्ति आदेश जारी

जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋणी किसानों को मिलेगी 67.25 करोड़ रूपए की राहत

25 वर्ष पुराने ऋण खाता के ऋणी नारायणसिंह के बैंक का कुल बकाया ऋण 15.50 लाख रू. के पेटे 3.50 लाख रूपए जमा करवाए, नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह को इस योजना के तहत 12 लाख की ब्याज राहत प्राप्त हुई।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जालोर। राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों को राहत देने के लिए की गई बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत शुक्रवार



को मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति में जालोर सहकारी भूमि विकास की भीनमाल शाखा के 25 वर्ष पुराने ऋण खाता के ऋणी नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह के बैंक का कुल बकाया ऋण 15.50 लाख

रू. के पेटे 3.50 लाख रूपए जमा करवाए गए। नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह को इस योजना के तहत 12 लाख की ब्याज राहत प्राप्त हुई। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बैंक द्वारा जारी रसीद प्रदान कर ऋणी किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बकाया ऋण जमा कराने वाले किसानों को बैंक द्वारा नो-ड्यूज के साथ-साथ भूमि रहन मुक्ति आदेश भी जारी किया जाएगा। मुख्य सचेतक ने कहा कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणियों को 100 प्रतिशत अवधिपार ब्याज राहत की योजना का लाभ मिले तथा योजना के प्रचार-प्रसार करने की बात कही। इस योजना के तहत जालोर भूमि विकास बैंक में कुल पात्र ऋणी 5 हजार 769 हैं जिनको ऋण पर कुल 67.25 करोड़ रूपए की राहत देते हुए

तारबंदी करने के दौरान किसान पेड़ों को न काटे-मुख्य सचेतक

मुख्य सचेतक द्वारा तारबंदी हेतु ऋण योजना के तहत 45 हजार रूपए का चेक वसनाराम पुत्र भीखाराम को प्रदान कर ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। ऋण चेक वितरित करते हुए गर्ग ने किसानों से तारबंदी करवाने के दौरान पेड़ों की कटाई नहीं करने की बात कही।

31.69 करोड़ रूपए जमा करवाए जाने हैं। ऋण निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत

एकमुश्त समझौता योजना के तहत किसान को मूल बकाया ऋण की 25 प्रतिशत राशि 30 जून तक भूमि विकास बैंक जालोर में जमा करवाने पर ही लाभ देय होगा। इस दौरान नारायणसिंह एमडी सीसीबी जालोर, बैंक सचिव एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर सुनील वीरभान, रवि सोलंकी, तकनीकी सहायक जमना मेघवाल, किसान तथा बैंक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।

सोलंकिया तला ग्राम सेवा सहकारी का मामला

पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया फसली ऋण वितरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जोधपुर। जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के निर्देश पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में गो-लाइव से वंचित पैक्स में फिलहाल अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर रोक लगाई हुई है, इसमें जिले की सोलंकिया तला ग्राम सेवा सहकारी समिति भी शामिल हैं, हालांकि यह ग्राम सेवा सहकारी समिति गो-लाइव हो चुकी हैं, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से ऋण वितरण प्रारंभ नहीं करने से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस भीषण गर्मी के दौर में ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े किसान संबंधित शाखा से लेकर

समिति मुख्यालय पर खरीफ सीजन की बुवाई का ऋण लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जबकि ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक का कहना है कि सहकारी समिति को गो-लाइव हुए करीब एक माह होने को आया है, लेकिन सीसीबी की ओर से ऋण वितरण प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को हटया नहीं जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की रोरगड़ शाखा अंतर्गत संचालित सोलंकिया तला ग्राम सेवा सहकारी समिति 1126 किसान ऋणी सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनको खरीफ सीजन के दौरान लगभग 6 करोड़ तक का ऋण सहकारी समिति की ओर से मुहैया कराया जाता है।

लोन नहीं चुकाने वाले किसानों पर लगाम के लिए सरकार ने निकाला तोड़

किसानों का क्रेडिट स्कोर बनेगा, लोन नहीं चुकाया तो खाद-मुआवजा और लोन पर रोक

ओम प्रकाश शर्मा
www.marwadkamitra.in

जयपुर, राज्य सरकार ऐसे किसानों पर लगाम कसने जा रही है, जो सहकारी बैंकों से लोन ले तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं। सरकार के पास इस समस्या के अब तक दो ही समाधान थे-कर्जमाफी या फिर कुर्की। अब सरकार किसानों का क्रेडिट स्कोर तैयार करेगी। यदि यह स्कोर बिगड़ा, तो संबंधित किसान पर कई पाबंदियां लागू होंगी। उसे ब्याज मुक्त फसली लोन नहीं मिलेगा। मुआवजा, खाद आदि मिलने पर भी रोक लग जाएगी। दरअसल, बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने भूमि विकास बैंक से लोन लिया

लेकिन चुकाया नहीं। ऐसे में उन किसानों पर बकाया राशि बढ़ती गई। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने समझौता स्कीम लॉन्च की, जिसमें ब्याज राशि सरकार वहन करेगी। इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले देखने में आया था कि समझौता स्कीम के बाद भी कई किसान लोन नहीं चुकाते, इसलिए सरकार ने वसूली प्रक्रिया में सिविल का प्रावधान किया है। छूट के बाद भी लोन नहीं चुकाने वाले किसानों का क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा। सिविल एक क्रेडिट ब्यूरो है, जो व्यक्तियों और कंपनियों के क्रेडिट इतिहास को रिकॉर्ड करता है।

30 हजार किसानों का लोन अवधिपार, वसूली नोटिस दिए जा रहे

नए नियमों में तहत सबसे पहले भूमि विकास बैंकों के उन कर्जदार किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिन्होंने लोन नहीं चुकाया। नोटिस में क्रेडिट स्कोर बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। 30 हजार किसान ऐसे हैं, जिनका लोन अवधिपार हो चुका है। इन पर मूल राशि, अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज सहित 846.32 करोड़ बकाया हैं। सरकार ने 515 करोड़ रूपए के अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज पर छूट दी है। मुख्यमंत्री ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना में छूट शेष राशि जमा कराने वाले किसानों को ही मिलेगी। भूमि विकास बैंक के प्रशासक प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि योजना लागू होने के साथ ही करीब 10 हजार किसानों को वसूली नोटिस दिए गए हैं।

सिविल खराब हो तो ये नुकसान

- बैंक से लोन लेने में समस्या।
- विदेश यात्रा में समस्या, वीजा प्रॉब्लम।
- वह व्यक्ति किसी भी बैंक में वित्तीय गारंटी नहीं दे सकता।
- स्वयं के साथ परिवार के सदस्यों को भी वित्तीय कार्यों में समस्या।
- क्रेडिट कार्ड लेने में परेशानी आएगी।

(कर सलाहकार संदीप गुप्ता के अनुसार)

कर्ज माफी के बाद वसूली में गिरावट

सहकारी बैंकों से किसानों को कई स्कीम में लोन दिया जाता है। गत वर्षों में भाजपा व कांग्रेस सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लिए जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण योजना में कर्ज माफी की गई थी। जानकारी बताते हैं कि इसके बाद कई योजनाओं में ऋण वसूली धीमी हुई है।

सिविल के साथ और भी बाध्यता

ब्याज मुक्त फसली ऋण नहीं मिलेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति से खाद नहीं मिलेगी। राज्य सरकार से मिलने वाला मुआवजा नहीं मिलेगा। सहकारी संस्थाओं में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी।

सरकार ने दो सी करोड़ रूपए ब्याज अनुदान के लिए देने की घोषणा की है। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। इसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे।

- गौतम कुमार दत्त, सहकारिता मंत्री

राजस्थान में 18 से 20 जून तक पहुंच सकता है मानसून

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली. इस बार मानसून जल्दी दस्तक देगा। इसके संकेत मिलने लगे हैं। मानसून मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया। तीन-चार दिन में यह और आगे बढ़ सकता है। इसके 27 मई को केरल पहुंचने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक राजस्थान में मानसून की एंट्री 18 से 20 जून तक हो सकती है। इससे पहले कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पिछले दो दिन में निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हुई है। आइएमडी ने बताया कि अगले तीन-चार दिन में दक्षिण अरब सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। छत्तीसगढ़ में 15 मई तक आंधी, बिजली और तेज



हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 16 मई तक बारिश होगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 से 15 मई, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 14 मई और झारखंड में 15-16 मई को बारिश का अनुमान है। केरल में 27 मई तक बारिश की संभावना है। आइएमडी इससे पहले मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जता चुका है। उसने अल नीनो की स्थिति को खारिज कर दिया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम बारिश से जुड़ी है। भारत के कृषि

क्षेत्र के लिए मानसून संजीवनी है। यह क्षेत्र 42 फीसदी आबादी को आजीविका प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18 फीसदी का योगदान देता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर एक जून को केरल में दस्तक देता है। अगर इस साल यह समय से पहले पहुंचता है तो 2009 के बाद पहली बार ऐसा होगा। मानसून ने 2009 में 23 मई को दस्तक दी थी। भारत में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा तब होती है, जब यह केरल पहुंचता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है।



ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए खरीदे

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

एक सब के लिए

एक सब के लिए

धानोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धानोल

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकाता कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें।

समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

पूरणसिंह देवड़ा अध्यक्ष

गणपतसिंह बालोत व्यवस्थापक

हरि सिंह गुर्जर
www.marwadkamitra.in

झालावाड़। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए ट्रैक्टर खरीद में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। जिले की दस समितियों द्वारा पिछले साल मार्च व अप्रैल में खरीदे गए एक ही मॉडल के ट्रैक्टरों की कीमतों में 15 से लेकर 42 हजार रुपये तक का अंतर पाया गया है, जबकि सभी ट्रैक्टर एक ही कंपनी की एक ही मॉडल के हैं। मजदूरों की एक ही मॉडल के ट्रैक्टर एक ही डीलर से खरीदे गए हैं। जानकारी के अनुसार किसानों को किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाई थी। इसके तहत झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक ने 41 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए। इनमें से दस समितियों के लिए वर्ष 2023-



24 में ट्रैक्टर खरीदे गए, लेकिन इनकी खरीद की दरों में बड़ा अंतर उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार अनुसार बाजार में अन्य कंपनियों के 46 एचपी ट्रैक्टर 7.70 लाख रूपए में उपलब्ध हैं, इसी पावर के एक कंपनी के ट्रैक्टरों की खरीद 8.28 लाख से 8.71 लाख रूपए तक में की गई। प्रत्येक ट्रैक्टर पर 80 हजार से 1 लाख रूपए तक की अतिरिक्त राशि अदा की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

बड़ा सवाल

जब सभी ट्रैक्टर एक ही मॉडल और कंपनी के हैं। ये सभी एक ही समयावधि में खरीदे गए हैं तो कीमतों में इतना अंतर क्यों। कहीं न कहीं यह सहकारी बैंक और संबंधित समितियों के स्तर पर मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

यह है खरीद का विवरण			
सहकारी समिति	खरीद तिथि	मूल्य	
रूडलाव	- 8 मार्च	-	8,28,861
नाहरघड़ा	- 8 मार्च	-	8,70,165
किटिया	- 7 मार्च	-	8,28,861
जुनाखेड़ा	- 15 मार्च	-	8,56,488
भैंसानी	- 11 मार्च	-	8,70,165
जनता कनवाड़ा	- 7 मार्च	-	8,28,861
जावर	- 3 अप्रैल	-	8,56,488
सरेड़ी	- 3 अप्रैल	-	8,71,849
चंदीपुर	- 3 अप्रैल	-	8, 56,488
कोलूखेड़ी	- 3 अप्रैल	-	8,56,488

उद्देश्य से मटक गई योजना

राज्य सरकार की योजना थी कि किसानों को सस्ते किराए पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, बीज ड्रिल, रोटोवेटर आदि उपकरण दिए जाएं ताकि वे खेती के आधुनिक साधनों का लाभ उठा सकें। लेकिन जब उपकरणों की खरीद में ही भ्रष्टाचार हो तो इसका लाभ जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचेगा

एक ही दिनांक और एक ही कंपनी का ट्रैक्टर सहकारी बैंक द्वारा खरीदा गया है। उसमें अगर अंतर आ रहा है तो गलत है। इसकी जांच कारवाई जाएगी। यदि गड़बड़ी पाई गई तो वसूली की कार्रवाई होगी। अजय सिंह राठौड़, जिला कलक्टर झालावाड़